

(नियम 6 देखें)

संस्था के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

संस्था का नाम.....

वह श्रेणी जिसके अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत किया जाना है: गोसदन/गौशरणालय गोशाला /गोविज्ञान केन्द्र/अन्य। (नाम निर्दिष्ट किया जाए)

सेवा में

सदस्य सचिव,

हिमाचल प्रदेश गोसेवा आयोग,

शिमला-5

विषय:- “हिमाचल प्रदेश गौवंश संरक्षण और संवर्धन नियम, 2022 के अन्तर्गत संस्था के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन।

महोदय,

उपरोक्त “हिमाचल प्रदेश गौवंश संरक्षण और संवर्धन नियम, 2022”, ‘हिमाचल प्रदेश गौवंश संरक्षण और संवर्धन अधिनियम, 2018 के उपाबन्धों के अधीन गाय के संरक्षण, संवर्धन और कल्याण में रत संस्था के रजिस्ट्रीकरण का उपबन्ध करते हैं।

अब, यह संस्था, उक्त नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने का आशय रखती है, अतः यह आवेदन ऐसी विशिष्टयों, जो अपेक्षित हो सहित तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जा रहा है।

बैंकमें तारीख
रूपये के कास्ड डिमांड ड्राफ्ट नम्बर
को भी रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में संलग्न किया गया है।

पूरा पता:

.....

संस्था प्रमुख
संस्था की मुहर

प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण:

1. संगठन का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र
2. संस्था के संविधान/उपविधियों की प्रति।
3. प्रबंध समिति द्वारा अंगीकृत संकल्पों /अधिनियम के अधिदेश से संबंधित वैठक कार्यवाहियों की प्रति।
4. पशु चिकित्सा अधिकारी और/या हिमाचल प्रदेश गौसेवा आयोग के सदस्य /विशेष आमंत्रित सदस्य द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित किए गए पिछले एक वर्ष में गौवंश के संरक्षण, पुनर्वास, संवर्धन और कल्याण से संबंधित कियाकलापों की सूची।
5. भूमि के स्वामित्व से संबंधित कागजपत्र।
6. सम्परीक्षित वित्तीय रिपोर्ट/ कागजपत्र।
7. उपाबन्ध VIII के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंक से उसके शीर्षनामे पर खाता विवरण सत्यापित करते हुए प्रमाण पत्र।
8. सार्वजनिक दान आदि सहित अन्य स्त्रोतों से अतीत में प्राप्त वित्तीय सहायता के ब्यौरे।
9. जहां संस्था की स्थापना का प्रस्ताव है उस पंचायत और स्थानीय प्रशासन में (उपाबन्ध IV) के साथ-साथ पशु चिकित्सा अधिकारी से (उपाबन्ध III) में सिफारिश प्रमाण पत्र/पत्र।

आवेदन की तारीखः

हस्ताक्षर
(संस्था का प्रमुख)

रसीद

केवल पांच सौ रुपये का बैंक ड्राफ्ट नंबर..... तारीख
..... के साथ रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पत्र सुसंगत दस्तावेजों की प्रतियों के साथ प्राप्त हुआ है।

तारीखः

सदस्य सचिव
हिमाचल प्रदेश गौसेवा आयोग,
शिमला।

(नियम 6 देखें)
संस्था का विवरण

1. संस्था का नाम

स्थापना की तारिख—

2. पता

3. विलेख या लिखट या ऐसा उद्घरण, जो उनका परावर्तन कर सके, की प्रतियों सहित संस्था के लक्ष्य और उद्देश्य ।

4. यदि यह किसी भी अधिनियमित के अधीन रजिस्ट्रीकृत है तो रजिस्ट्रेकरण प्रमाण पत्र ।

5. सुसंगत दस्तावेजों सहित संस्था की उपविधियां ।

6. संस्था से सम्बन्धित धारित पद सहित न्यासी (द्रस्टी) सदस्यों के नाम और पते ।

7. संस्था के कर्मचारी, यदि कोई हो:

8. पशुधन का विवरण:-

संख्या.....नस्त्व, यदि विशेष हो.....

(i) गाय: दूध देने वाली-

दूध न देने वाली-

(ii) बछड़ियां

(iii) बैल

(iv) सांण्ड

(v) बछड़े-नर/मादा

(vi) अन्य पशुधन (प्रकार वर्णित करें)

9. संस्था की पिछले पांच वर्षों में

1. 2. 3. 4. 5.

दूध और अन्य गाय

उत्पादों, के नाम के साथ की बिक्री से आय

10. संस्था द्वारा हस्ति भूमि की पूर्ण विशिष्टियां:

कृषि घास चारागाह

अन्य प्रवर्ग

(क) सिंचित

(ख) गैर- सिंचित

11. भूमि उपयोग वर्गीकरण:

12. आय के स्त्रोतः:-

पिछले पांच वर्षों में सरकारी अभिकरणों से अभिप्राप्त राशि

पिछले पांच वर्षों में अन्य स्त्रोतों से अभिप्राप्त राशि

13. पिछले प्रांच वर्षों में उपगतकियाकलाप वार व्यय:

1. आधारिक संरचना पर:

1. 2. 3. 4. 5.

2. दाना चारा पर:

1. 2. 3. 4. 5.

3. श्रम/जन शक्ति /वहन आदि पर

1. 2. 3. 4. 5.

14. पिछले तीन वर्षों का संपरीक्षित लेखा -

15. अन्य सूचना:

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

नियम 6 देखें

पशुपालन विभाग के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी/ पशु चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र।

सेवा में,

सदस्य सचिव
हिमाचल प्रदेश गौसेवा आयोग

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था नीचे दिए गए नाम अनुसार, अपने गोसदन /गौशाला/गौविज्ञान केंद्र/अन्य संस्था में गौवंश पाल रही है।

या

अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार गाय के संरक्षण /संवर्धन/कल्याण के घटक को पूरा करने के लिए ऐसी संस्था स्थापित करने और उसकी आवश्यकता का प्रस्ताव कर रही है।

1. संगठन का नाम और पता:
2. संस्था का नाम और पता चालू या प्रस्तावित:
3. उक्त संस्था में सहारा दिए गए/सहारा देने के लिए प्रस्तावित किए गए पशुओं की संख्या:

1	2	3	4	5	6	7	8
दूध न देने वाली गाय	दुधारू गाय	बचाए गए बैल	बैल/सांड	मादा बछड़े	नर बछड़े	कुल	वहन क्षमता

4. पिछले तीन वर्षों में कुल पुनर्वासित/बचाए गए/अपनाए गए पशुओं की संख्या

- (i)
- (ii)
- (iii)

5. संगठन द्वारा अनुरक्षित उपचार रजिस्टर के अनुसार पिछले तीन वर्षों में उपचारित पशुओं की कुल संख्या :

वर्ष	संस्थान में	पशु-चिकित्सालय/औषधालय में लाए गए	घटना स्थल पर (ऑन द स्पॉट)	कुल
(i)				
(ii)				
(iii)				

स्थान:

तरीख:

हस्ताक्षर एवं शासकीय मुहर

अधिकारी का नाम:

पदनाम:

गोबाइल और ईमेल:

उपनिवेशक (पशु स्वास्थ्य /प्रजनन) द्वारा
प्रतिहस्ताक्षरित

{ नियम 6 देखें }

स्थानीय निकाय अर्थात्, पंचायत/ग्राम समिति/ग्राम सभा/नगर निगम-परिषद/राजस्व विभाग के शीर्षपत्र पर अभिप्राप्त किया जाने वाला प्रमाणपत्र सेवा में,

सदस्य सचिव

हिमाचल प्रदेश गौसेवा आयोग

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था नीचे दिए गए नाम के अनुसार अपने गोसदन/ गौशाला/गोविज्ञान केंद्र/ अन्य संस्था गौवंश पाल रही है।

या

अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार गाय के संरक्षण /संवर्धन/कल्याण के घटक को पूरी करने के लिए ऐसी कोई संस्था स्थापित की जानी और उसकी आवश्यकता का प्रस्ताव न्यायसंगत है:

1. संगठन का नाम और पता:
 2. संस्था का नाम और पता (चालू/प्रस्तावित):
 3. संपर्क विवरण के साथ अध्यक्ष/सचिव/संपर्क व्यक्ति का नाम:
 5. उक्त संस्था में सहारा दिए गए/सहारा दिए जाने के लिए प्रस्तावित पशुओं की कुल संख्या:
 - 6.निम्नलिखित कारणों से उक्त संस्था की आवश्यकता न्यायसंगत है:
- उपरोक्त संगठन के प्रत्यय पग, जो प्रस्तावित संस्थान को स्थापित करने/संचालित करने का प्रस्ताव करती है, के एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है ।

स्थानः

तारीखः

हस्ताक्षर एंव शासकीय मुहर

अधिकारी का नामः

पदनामः

गोबाइल और ईमेलः

उपनिदेशक (पशु स्वास्थ्य /प्रजनन) द्वारा
प्रतिहस्ताक्षरित

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

{ नियम 6(3) देखें }

प्रमाणित किया जाता है कि को कमांक संख्या ..
.....पर, हिमाचल प्रदेश गौ संरक्षण और संवर्धन अधिनियम, 2018 (2019 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 13 (1) के उपबन्धों के अनुसार..... गोसदन/ गौशाला/गौ शरणालय/गौविज्ञान केंद्र/ अन्य के रूप में आयोग की संरक्षा के रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत किया गया है और विरचित नियमों की निम्न शर्तों के अध्यधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करता है :-

1. संरक्षा अपने संविधान का पालन करेगी।
2. संरक्षा अपने कार्यों का उन उददेश्यों के लिए निर्वहन करेगा जिनके लिए इसका गठन किया गया है।
3. संरक्षा की किसी सम्पत्ति का आयोग की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी रीति में व्ययन नहीं किया जाएगा।
4. संरक्षा के नाम पर अभिप्राप्तसमी आगम का लेखा-जोखा उचित पुस्तकों में होगा और चार्टर्ड लेखापाल या तत्स्थानी अभिकरणों द्वारा लेखा संपरीक्षित किया जाएगा।
5. संरक्षा अपना संपरीक्षित लेखा और इसके व्यौरे, आयोग द्वाराजब कभी यदि मंगवाए जाने आपेक्षित हो, प्रस्तुत करेगी।

दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि एतद्वारा संरक्षन की उचित अभिरक्षा और रिकॉर्ड के लिए वापस की जाएगी।

स्थानः

तारीखः :

सदस्य सचिव
हिमाचल प्रदेश गोसेवा आयोग

संस्थाओं का रजिस्टर

संस्था का नाम

पता.....

उद्देश्य.....

(विनिर्दिष्ट किया जाना है कि संस्थान केवल स्वदेशी गोवंश का पालन करता है/पालने का प्रस्ताव करता है)

रथापना की तारीख.....रजिस्ट्रीकरण संख्याअधिनियमिति के अधीन रजिस्ट्रीकृत है:-

रजिस्ट्रीकरण की तारीख (1)	आवंटित रजिस्ट्रीकरण संख्या (2)	कार्यकारी निकाय के सदस्यों के नाम एंव पता (3)	कार्यकारी निकाय के उत्तराधिकार की शीति (4)

पल रहे पशुधन के ब्यौरे

गायें			वैल/वछडे	रखे गए कुल गोवंश	कुल वहन क्षमता
दूध न देने वाली गाय (5)	दुधारू (6)	अशक्त (दुर्बल) (7)			

आय के सकल ब्यौरे (प्राप्तियां/आगम) और संस्था का व्यय

पिछले पांच वर्षों में सरकारी अभिकरणों से			पिछले पांच वर्षों में अन्यस्त्रोतों से (सार्वजनिक योगदान)				
प्राप्त रकम (11)	रकम व्यय (12)	प्रयोजन (13)	अभिकरण (14)	प्राप्त रकम (15)	रकम व्यय (16)	प्रयोजन (17)	स्त्रोत (18)

अचल सम्पत्ति के ब्यौरे

कृषि भूमि (19)	मूल्य (20)	गैर कृषि भूमि (21)	मूल्य (22)	भवन (23)	मूल्य (24)

चलसम्पत्ति के ब्यौरे

पशुधन (25)	मूल्य (26)	प्रतिभूतियां (27)	मूल्य (28)	विनिधान (29)	नकद मूल्य (30)	उपस्कर (31)	उपकरण (32)	यान (33)

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

{नियम 7 देखें}

उपाध्य-VII

किसी संस्था के लिए हिमाचल प्रदेश गौसेवा आयोग से वित्तीय सहायता हेतु

संस्था का नाम.....

वह श्रेणी जिसके अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत गोसदन/ गौशाला/ गौविज्ञान केंद्र/ अन्य (नाम विनिर्दिष्ट किया जाएः....)

सेवा में,

सदस्य सचिव,

हिमाचल प्रदेश गौसेवा आयोग,

शिमला-5

विषय:- “हिमाचल प्रदेश गौवंश संरक्षण और संवर्धन नियम, 2022” के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्था को वित्तीय सहायता के लिए आवेदन।

महोदय,

उपरोक्त “हिमाचल प्रदेश गौवंश संरक्षण और संवर्धन नियम, 2022” में “हिमाचल प्रदेश गौवंश संरक्षण और संवर्धन अधिनियम, 2018” के उपबन्धों के अधीन गाय के संरक्षण, संवर्धन और कल्याण में रत संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपबन्ध करते हैं।

अतः अब यह संस्था उक्त नियमों के अधीन ऐसी वित्तीय सहायता प्राप्त करने का आशय रखती है,
अतः यह आवेदन ऐसी विशिष्टियों, जैसी अपेक्षित हैं के साथ तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जा रहा है।

पूरा पता:

संस्था का प्रमुख,
संस्था की मुहर

प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के विवरण:-

1. संगठन का हिमाचल प्रदेश गौसेवा आयोग के साथ रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र।
2. उस प्रस्ताव की प्रतिलिपि जिसके लिए अवसंरचना विकास/संवर्द्धन/संरक्षण संचालन हेतु सहायता मांगी जा रही है।
3. पशु चिकित्सा अधिकारी/ हिमाचल प्रदेश गौसेवा आयोग के सदस्य /विशेष आमंत्रित सदस्य द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित किए गए पिछले एक वर्ष में गाय के संरक्षण, पुनर्वास, संवर्धन और कल्याण से संबंधित कियाकलापों की सूची।
4. एक शपथ पत्र पर सीएसआर और अन्य अभिकरणों के अन्तर्गत सरकारी विभागों/ अभिकरणों, सार्वजनिक दान सहित अन्य स्त्रोतों से, पूर्व और वर्तमान में मांगी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे।
5. भूमि के स्वाभित्व से संबंधित कागजपत्र।
6. संपरीक्षित वित्तीय रिपोर्टें/कागजपत्र।
7. सार्वजनिक दान आदि सहित अन्य स्त्रोतों से अतीत में प्राप्त वित्तीय सहायता के ब्यौरे।
8. पंचायत/स्थानीय प्रशासन के साथ—साथ पशु चिकित्सा अधिकारी और उप निदेशक द्वारा संस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव।
9. सरकारी विभाग/अभिकरण में नियोजित सिविल इंजीनियर द्वारा तैयार किया गया या उसके द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित विस्तृत आकलन के साथ परियोजना प्रस्ताव की प्रतिलिपि।
- 10.उपाबन्ध-VIII के अनुसार लेखा ब्यौरे सत्यापित करते हुए शीर्षनामा पर राष्ट्रीयकृत बैंक से प्रमाण—पत्र।

आवेदन की तारीख :

हस्ताक्षर
संस्था प्रमुख के

{ नियम 6 और 7 देखें }

(बैंक के शीर्षपत्र पर प्राप्त किया जाए)

सेवा में,

सदस्य सचिव,

हिमाचल प्रदेश गौसेवा आयोग।

हम नीचे वर्णित संगठन जिसका हमारे बैंक में लेखा है, की निधियों के अंतरण हेतु निम्नलिखित व्यौरों का एतदद्वारा प्रमाणित करते हैं:-

1. संगठन का नाम :
2. संगठन का पता:
3. बैंक का नाम, शाखा एवं पता
4. संगठन का खाता संख्या:
5. बैंक का आई. एफ.एस.सी.कोड नम्बर
6. संगठन के हस्ताक्षरकर्ताओं का नाम, पता और पदनाम

हस्ताक्षर
बैंक का नाम और मुहर